भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1862
जिसका उत्तर बुधवार, 03 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

न्यायालयों में मुकदमेबाजी को कम करना

1862. श्री जी.एम. सिद्देश्वरा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का अदालतों में मुकदमों को कम करने के लिए शुल्क-संबंधी वित्तीय सीमा को बढ़ाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या पिछले वर्ष सरकार द्वारा किए गए एक विश्लेषण में पाया गया था कि अदालतों में दायर सभी मुकदमों में 46 प्रतिशत मुकदमें केन्द्र या राज्य सरकारों द्वारा दायर किए गए मुकदमें या अपील थे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र और राज्य सरकारों के मुकदमों सहित लंबित मामलों को कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रविशंकर प्रसाद)

(क) से (घ) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

****